जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–30.07.2015 को 7:00 बजे अपराह्न विभिन्न कार्यों/कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1.0 **उपस्थिति**

पंजी के अनुसार ।

2.0 **कार्यवाही**

सर्वप्रथम अनुमण्डल पदाधिकारियों के कार्य बिन्दु पर विचार–विमर्श किया गया और विभिन्न कार्यों/कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्न निदेश दिये गये :–

2.1 आसन्न बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के मद्येनजर सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के साथ विधि–व्यवस्था के दृष्टिकोण से अपने अनुमण्डल क्षेत्रों में प्रतिदिन भ्रमण करेंगे और स्थिति का आकलन करेंगे।

2.2 सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी थानावार भ्रमण कर स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने वाले राजनैतिक समर्थकों एवं आम दिनों में शान्ति भंग करने वाले आदतन अपराधियों, असामाजिक तत्वों, भगोड़े अपराधियों, आर.पी.एक्ट के अन्तर्गत विगत मतदान में चिन्हित एवं Charge Sheeted किए गये व्यक्तियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करेंगे।

2.3 अनुमण्डल पदाधिकारी प्रत्येक थाना में कैम्प कोर्ट आयोजित कर ऐसे चिन्हित अपराधियों के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा–107 तथा 110 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई करेंगे।

2.4 सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सप्ताह में कम–से–कम तीन थाना में बैठकों का आयोजन कर समीक्षा करेंगे।

2.5 विधि व्यवस्था को भंग करने वाले एक से अधिक वादों के अभियुक्तों/महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शस्त्रों को जब्त करने की कार्रवाई किया जाय।

2.6 फसल क्षति अनुदान का शत–प्रतिशत वितरण कराना सुनिश्चित करें तथा फर्जी एल0पी0सी0 के आधार पर फसल क्षति अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाय।

2.7 जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होने के कारण 80% धान की रोपनी प्रभावित हो गयी है, उन क्षेत्रों में डीजल अनुदान का वितरण कराया जाना है। तदनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी डीजल अनुदान वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

2.8 सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत पोशाक, छात्रवृति, साईकिल, प्रोत्साहन राशि का शत–प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराऍगे।

2.9 अनुमण्डल पदाधिकारी पैक्सों द्वारा खाद वितरण एवं जन वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न वितरण का सत्यापन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती जाय।

2.10 स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कुल 22 बिन्दुओं का प्रपत्र अनुमण्डल पदाधिकारियों को जॉच हेतु भेजे जा रहे है। अनुमण्डल पदाधिकारी स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर उक्त बिन्दुओ पर जॉच कर प्रतिवेदित करेंगे। डी0पी0एम0, जिला स्वास्थ्य समिति उक्त प्रपत्र सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2.11 सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने क्षेत्र भ्रमण के कम में मध्याह्न भोजन योजना एवं पंचायत तथा प्रखंड स्तरीय शिक्षकों की उपस्थित की भी जॉच करेंगे। इसके पूर्व प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना से तीन दिनों के उठाव का व्योरा प्राप्त कर जॉच की जाय कि छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कितनी है और

वितरण कितना दिखाया गया है। इसमें गडबड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित प्रधानाध्यापक के विरूद्व कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजेंगे।

2.12 जिला स्तर से प्रतिनियुक्त जॉच पदाधिकारियों के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर किरासन तेल का वितरण किया जाता है। पी0एच0एच0 तथा अन्त्योदय में भी कम मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में कई बार अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिये जाने के बावजूद इसमें अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। अधिक दर पर किरासन तेल का वितरण करना एवं पी0एच0एच0/अन्त्योदय में कम मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति करना गम्भीर अपराध है। भविष्य में यदि ऐसे मामले प्रकाश में आयेगें तो जन वितरण प्रणाली दुकानदार सहित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

अतः सभी अनुमण्डल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित दर से अधिक दर पर किरासन तेल का वितरण नहीं हो और पी0एच0एच0/अन्त्योदय में कम मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की जाय।

2.13 सही दर पर सही मात्रा में तेल/खाद्यान्न वितरण करने से सम्बन्धित डीलरवार जॉच हेतु जिला स्तर पर विहित प्रपत्र निर्धारित किया गया हैं, जिसे अनुमण्डल पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है। जॉच प्रतिवेदन अंकित करने के पश्चात पर्यवेक्षक एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दोनों शत–प्रतिशत हस्ताक्षर करेंगे और अनुमण्डल पदाधिकारी उक्त विहित प्रपत्र में मन्तव्य अंकित करते हुए हस्ताक्षर कर प्रतिवेदित करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी विहित प्रपत्र सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2.14 आपूर्ति सम्बन्धी अगली बैठक में मई, जून एवं जुलाई 2015 माह के उठाव एवं वितरण की समीक्षा की जायेगी। अतः सभी अनुमण्डल पदाधिकारी ससमय उठाव एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

2.15 आपूर्ति सम्बन्धी शिकायतों की लंबित जॉच का शत–प्रतिशत निष्पादन सभी अनुमण्डल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

2.16 संग्रामपुर प्रखंड में विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि यहां के अंचल गार्ड के रूप में प्रतिनियुक्त गृहरक्षकों को हटाकर उनके स्थान पर 1–4 DAP को रखा जाय। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर की सुरक्षा हेतु उन्हें एक अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाय। इसे जिला गोपनीय प्रशाखा द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

2.17 दिनांक–06.08.2015 को संग्रामपुर प्रखंड में जिला पदाधिकारी का जनता दरबार आयोजित करने का निर्णय लिया गया तथा उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुमण्डल पदाधिकारी अरेराज जनता दरबार हेतु सभी व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

2.18 सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को नया वाहन उपलब्ध कराया जाय। इसे जिला नजारत उप समाहर्ता सुनिश्चित कराऍगे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–XII – 01 /2015, 1832 /गो0, मोतिहारी, दिनांक–01.08.2015

प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि डी0पी0एम0, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला प्रबंधक, आई0टी0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं **वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु** प्रेषित।

प्रतिलिपि सिविल सर्जन/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला नजारत उप समाहर्ता/जिला शिक्षा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना/जिला कृषि पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।